154

न्यायालय, श्रीमती बबली कुमारी, कार्यपालक दण्डाधिकारी ,बुण्डू(राँची)

आदेश पत्रक

वाद सं०-M-111/2018
धारा-107 द०प्र०सं०

युधिष्ठिर भगत बनाम चैतन्य भगत वगैरह

आदेश की क्रम सं० एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई एवं टिप्पणी तारीख सहित
	अभिलेख सं०-एम 111 / 2018 में द०प्र०सं० की धारा-107 के तहत थाना प्रभारी सोनाहातु के अप्राथमिकी सं०- 26/18 दिनांक-12-08-18 के द्वारा प्राप्त पुलिस प्रतिवेदन/आवेदन से सूचना मिली है कि खेत के पानी ले जाने को लेकर उभय पक्ष में विवाद है। जिससे संभावना है कि परिशांति भंग होगी या लोक परिशांति क्षुब्ध होगी या उभय पक्ष/विपक्षी कोई ऐसा असंतोषकारी कार्य करेंगे जिससे परिशांति भंग हो जाएगी या लोक परिशांति क्षुब्ध हो जाएगी। अतः मैं बबली कुमारी, कार्यपालक दण्डाधिकारी ,बुण्डू (राँची) उक्त पुलिस प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध द०प्र०सं० की धारा-107 के अन्तर्गत कार्यवाही आरंभ करती हूँ। उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरूद्ध सूचना निर्गत करें कि वे कारण दर्शित करें कि उन्हें एक वर्ष तक परिशांति कायम रखने के लिए उससे/उनसे प्रत्येक को 1000(एक हजार) रू0 का बन्ध पत्र उसी राशि के दो जमानतदारों के साथ राशि दाखिल करने हेतु आदेश क्यों नहीं दिया जाय। अभिलेख तिथि 05/10/18 को उपस्थापित करें। लेखापित एवं संशोधित। (हस्ताक्षर) 13/08/18 कार्यपालक दण्डाधिकारी , बुण्डू (राँची)। (हस्ताक्षर) 13/08/18 कार्यपालक दण्डाधिकारी बुण्डू (राँची)।	

दिनांक	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई एवं टिप्पणी तारीख सहित
	पत्र का प्रतिपरीक्षण एवं द्वितीय पक्ष गवाही हेतु नथी उपस्थित करें दिनांक 03-05-19 को रखें। 15/04/19	
03-05-19	अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष अधिवक्ता हाजरी द्वितीय पक्ष क्रमांक 01 उपस्थित अन्य अधिवक्ता हाजरी। प्रथम पक्ष प्रतिपरीक्षण एवं द्वितीय पक्ष गवाही हेतु दिनांक 20-05-19 को रखें।	
20-05-19	अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष उपस्थित द्वितीय पक्ष क्रमांक 01 उपस्थित अन्य अधिवक्ता हाजरी। उक्त वाद में 06 (छः) माह की अवधि पूर्ण हो चुकी है अतएव वाद कालबाधित हो गया है। अतः वाद के अभिलेख की कार्रवाई बंद की जाती है। 20/05/19	

Digitally signed by Ajay Kumar Saw
Date: 2022.07.19 12:13:16 +05:30
Location: 10.93.79.5